इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 सितम्बर 2012—भाद्र 16, शक 1934

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2012

क्र. एफ-02 (बी)-01-2012-तीन-जेल.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिकवर्गीय तथा लिपिकवर्गीय) जेल सेवा भरती नियम, 1974 में निम्नलिखित

और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-तीन में, भाग-ख (तृतीय श्रेणी-लिपिकवर्गीय) में, अनुक्रमांक 1, 2 और 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात् :—

भाग-ख
(तृतीय श्रेणी-लिपिकवर्गीय)

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जेल विभाग	1. शीघ्र लेखक (स्टेनोग्राफर)	18 वर्ष	35 वर्ष	(1) अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या 10+2 पद्धति से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. (2) अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा तथा 40 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन में भी डिप्लोमा धारकों को अधिमानता दी जायेगी. (3) अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए:— (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा. (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा. (तीन) डीओईएसीसी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा. (चार) शासकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय से माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जेल विभाग	2. सहायक ग्रेड-3	18 वर्ष	35 वर्ष	(1) अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या 10+2 पद्धति से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. (2) अभ्यर्थी ने मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण की हो. (3) अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए:— (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा. (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा. (तीन) डीओईएसीसी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा. (चार) शासकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय से माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स. अंग्रेजी मुद्रलेखन का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जाएगी.
जेल विभाग	3. स्टेनो टायपिस्ट	18 वर्ष	35 वर्ष	(1) अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या 10+2 पद्धति से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. (2) अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन बोर्ड अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट एवं 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा पोलिटेक्निक अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से माडर्न आफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा हो.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(3) अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए:— (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा. (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा. (तीन) डीओईएसीसी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा. (चार) शासकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय से माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स.

No. F-02 (B)-01-2012-Three-Jail.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Jail Service Recruitment Rules, 1974 namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, for Schedule-III, in part-B (Class-III Ministerial) for the serial number 1, 2 and 3 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries sahll be substituted, namely :—

PART-B
(Class-III Ministerial)

Name of Department (1)	Name of Post (2)	Minimum age Limit (3)	Upper age Limit (4)	Educational Qualification (5)
Jail Department	1. Stenographer	18 Years	35 Years	(1) Candidate must have passed the Higher Secondary Examination old pattern or passed 12th examination under 10+2 pattern from Madhya Pradesh Board of Secondary Education or from any other recognized Board/Institution. (2) Candidate must have passed the Examination in Hindi Shorthand with a speed of 100 words per minute and Hindi Typewriting with a speed of 40 words per minute from Board of shorthand any Typewriting or from any other institution recognized by Government of Madhya Pradesh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Preference will be given to those possessing Diploma in English Shorthand and Typewriting also. (3) Candidate must have a Diploma in Computer Application from any of the following recognized Institution:— (i) Diploma from any of the universities recognized by University Grant Commission. (ii) Diploma from any open University recognized by University Grant Commission. (iii) Diploma Level examination from DOEACC. (iv) Modern Office Management course from Government Polytechnic College.
Jail Department	2.Asstt. Grade-III	18 Years	35 Years	(1) Candidate must have passed the Higher Secondary Examination old pattern or passed 12th examination under 10+2 pattern from Madhya Pradesh Board of Secondary Education or from any other recognized Board/Institution. (2) Candidate must have passed the Examination in Hindi Typewriting from the Madhya Pradesh Board of Shorthand and Typewriting or from any other recognized/Institution. (3) Candidate must have a Diploma in Computer Application from any of the following recognized Institution:— (i) Diploma from any of the universities recognized by University Grant Commission. (ii) Diploma from any open University recognized by University Grant Commission. (iii) Diploma Level examination from DOEACC. (iv) Modern Office Management course from Government Polytechnic College. Preference will be given to those possessing knowledge of English Typewriting also.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jail Department	3. Stenotypist	18 Years	35 Years	(1) Candidate must have passed the Higher Secondary Examination old pattern or passed 12th examination under 10+2 pattern from Madhya Pradesh Board of Secondary Education or from any other recognized Board/Institution. (2) Candidate must have passed the Examination in Hindi Shorthand and typing with a speed of 80 words per minute and 25 words per minute respectively from Madhya Pradesh Board of Shorthand and Typewriting or from Industrial Training Institute or Diploma in Mordern office meanagement from Polytechnic or College/University recognized by All India Council for Technical Examination (A.I.C.T.E.) (3) Candidate must have a Diploma in Compurter Application from any of the following recognized Institution:— (i) Diploma from any of the universities recognized by University Grant Commission. (ii) Diploma from any open university recognized by University Grant Commission. (iii) Diploma Level examination from DOEACC. (iv) Modern Office Management course from Government Polytechnic College.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दशरथ कुमार, उपसचिव.

मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग,
(कार्यालय राहत आयुक्त)
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त, 2012

क्रमांक 212/रा.आ./स्था. भोपाल, दिनांक 21.08.2012 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नैसर्गिक आपदा राहत आयुक्त कार्यालय तृतीय श्रेणी अराजपत्रित/लिपिकवर्गीय/अलिपिकवर्गीय सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नैसर्गिक आपदा राहत आयुक्त कार्यालय तृतीय श्रेणी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 है।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, राहत आयुक्त मध्यप्रदेश ;

(ख) "विभागीय पदोन्नति समिति" से अभिप्रेत है, अनुसूची चार के कालम (5) के अनुसार गठित समिति ;

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार ;

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल ;

(ड.) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

(च) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 सितम्बर, 1984 द्वारा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ;

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति, या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(झ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के उपनियम (2) के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित समिति ;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नैसर्गिक आपदा राहत आयुक्त कार्यालय तृतीय श्रेणी अराजपत्रित/लिपिकवर्गीय/अलिपिकवर्गीय सेवा ;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.** – मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम अनुसूची–एक में यथाउल्लिखित सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.** – सेवा में निम्नलिखित होंगे, –

(क) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने पर, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप अथवा स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों ;

(ख) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व, सेवा में भर्ती किए गए हों ;

(ग) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान तथा पदों की संख्या.**– सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी :

परन्तु सरकार, समय–समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका.**–

(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :–

(क) प्रतियोगिता परीक्षा या चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ;

(ख) अनुसूची–चार में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/संविलियन/प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवा में ऐसे पद मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) अथवा खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या की अनुसूची–दो में दर्शाए गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी।

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना आवश्यक हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति के पश्चात् उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जो वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.** — सीधी भर्ती के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी :—

(1) आयु :—

(क) उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, किन्तु 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो ;

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ;

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई शर्तों तथा सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी शासकीय सेवक हो तथा दूसरे पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह शिथिलता, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ;

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :— पद "छंटनी किया गया सरकारी सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार की या किन्हीं संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर रहा था तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था।

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा :

परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – ऐसे अभ्यर्थी जो "भूतपूर्व सैनिक" है, से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा था तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई थी अथवा जो अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था।

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिसे सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो ;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और –
   (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर ;
   (ख) नामांकन संबंधी शर्ते पूर्ण कर लेने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक।

(4) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने के परिणामस्वरूप घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो।

(7) ऐसे अधिकारी, (सैनिक तथा असैनिक), (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं) जो उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गए हों।

(8) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(घ) विधवा, निराश्रित तथा निःशक्त महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ;

(ड.) उन अभ्यर्थीयों के लिए जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिल होगी ;

(च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पत्ति के पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ;

(छ) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल होगी ;

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष तक शिथिल होगी ;

(झ) नगर सेना होमगार्डस् के स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा शिथिल होगी। यह शिथिलीकरण 3 वर्ष तक होगा ;

(ञ) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार निराश्रित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी ;

(ट) अशक्त अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी ;

टिप्पणी 1. ऐसी अभ्यर्थी, जिन्हें उपर्युक्त नियम (1) के खण्ड (ग) के उप खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन के लिए सम्मिलित किया गया हो, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् चयन के पहले अथवा उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र देते हैं तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी की जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे।

टिप्पणी 2. किसी अन्य मामले में यह आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी।

टिप्पणी 3. विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में उपस्थित होने के लिए अपने नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करना होगी।

(2) शैक्षणिक अर्हताएं.– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए अनुसूची–तीन के कॉलम (5) दर्शायी गई विहित की गई शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए।

(3) फीस.– अभ्यर्थी को सरकार द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**–(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता के रूप में माना जा सकेगा।

(2) कोई अभ्यर्थी सेवा/पदोन्नति में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो।

(3) कोई व्यक्ति जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसक पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु कोई अभ्यर्थी, जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो जिसमें दो या दो से अधिक जुड़वा संतान के रूप में जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

(4) कोई अभ्यर्थी, जो महिलाओं के विरूद्ध अपराध के लिए दोषसिद्ध है, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी न्यायालय में उसके विरूद्ध मामला लंबित है, मामला न्यायालय के अंतिम विनिश्चय तक लंबित रखा जाएगा।

(5) कोई पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां है और किसी ऐसी महिला अभ्यर्थी के मामले में, जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया है, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी है, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

(6) कोई भी शासकीय सेवक जिसकी जीवित पत्नी है, सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा यद्यपि, उसकी स्वीय विधि उसको ऐसा करने की अनुज्ञा देती है।

(7) कोई स्थाई महिला शासकीय सेवक, सरकार की अनुज्ञा के बिना ऐसे व्यक्ति से, जिसकी पत्नी जीवित हो, विवाह नहीं करेगी।

10. **नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**— अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.**— (1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अन्तरालों से ली जाएगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय—समय पर सरकार के परामर्श से अवधारित करे।

(2) परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार संचालित की जाएगी अथवा इन आदेशों की अनुपस्थिति में, इस निमित्त नियुक्ति प्राधिकारी आदेश जारी करेगा।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार सीधी भर्ती हेतु विभिन्न प्रवर्गों के पद आरक्षित होंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्त पदों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम, नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित अभ्यर्थियों को, जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाए तथा समिति

द्वारा उपनियम (3) के अधीन उनकी सिफारिश की गई हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा :

परन्तु अग्रनीत किए जाने वाले पदों को सम्मिलित करते हुए, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों की कुल संख्या, किसी भी समय विज्ञापित रिक्त पदों की कुल संख्या के 45 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(6) (एक) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है तथा नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनुभव की ऐसी शर्तो को शिथिल कर सकेगा।

(दो) सेवा में चयन अथवा भर्ती समय–समय पर, सरकार से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

(तीन) सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार करने के पश्चात् किया जाएगा।

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.**–

(1) चयन समिति, एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्ह हों जैसा कि चयन समिति अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं या जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है, योग्यता के क्रम में तैयार करेगी तथा यथास्थिति, सरकार अथवा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जा सकेगी।

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों में अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए, उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आए हों।

(3) चयन सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्त होने का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(4) चयन सूची इसके जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष तक विधिमान्य रहेगी।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए अनुसूची–चार के कॉलम (5) में उल्लिखित किए गए अनुसार एक समिति गठित की जाएगी।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक ऐसे अंतरालों से होगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी निदेश दें, किन्तु साधारणतः एक वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं होगा।
(3) ऐसी रिक्तियों में, जहां अनुसूची–दो में, यथा विनिर्दिष्ट पदोन्नति का प्रतिशत 33½ (साढ़े तैंतीस) या उससे अधिक हो तथा उपलब्ध रिक्त स्थानों की कुल संख्या का 16% तथा 20% अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए जो नियम 14 के अधीन पदोन्नति के लिए पात्र हैं, आरक्षित रखे जाएंगे।
(4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों पर पदोन्नति की प्रक्रिया, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए, निदेशों के अनुसार होगी।
(5) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की उसके कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट पद अथवा पदों पर पदोन्नति हेतु, अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में यथाविनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगी।

14. **पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तें** – (1) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए विभागीय पदोन्नति समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन, उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी है या जिन्हें सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित किए जाए किसी अन्य पदों पर उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है और जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में हो:

परन्तु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को वरिष्ठ से ऊपर केवल इस आधार पर अधिमान नहीं दिया जाएगा कि उसने इस उपनियम में उल्लिखत विहित सेवा पूर्ण कर ली है।
(2) वरिष्ठता–सह–गुणागुण के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की दशा में, सूची में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विचारण क्षेत्र सामान्यतः पॉच गुना तक सीमित होगा:

परन्तु यदि विचारण क्षेत्र मे पर्याप्त संख्या में उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हों, तब विभागीय पदोन्नति समिति, उसके कारणों को लिखित में अभिलिखित कर उसकी सीमा बढ़ा सकेगी।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना**:– (1) विभागीय पदोन्नति समिति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 14 में विहित शर्तो को पूरा करते हों, और जो उक्त समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझे गए हो। यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तारीख के प्रारंभ के एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। उक्त सूची में सम्मिलित सेवा के सदस्यों के पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनवेच्छित रिक्तियों को भरने के लिए 25% की आरक्षित सूची प्रस्तावित की जाएगी।
(2)

(2) प्रत्येक चयन सूची तैयार करते समय, चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों/ कर्मचारियों के नाम अनुसूची—चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के मानदण्ड के क्रम में रखे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः— व्यक्ति, जिनके नाम चयन सूची में सम्मिलित किए गए हों किन्तु जिन्हें सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नही किया गया हो, केवल उनके पूर्वतर चयन के आधार पर उन व्यक्तियों पर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन सूची में विचार किया गया था, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं करेंगे।

(3) इए प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा।

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए, तो विभागीय पदोन्नति समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

16. **चयन सूची :—**(1) नियुक्ति प्राधिकारी, विभागीय पदोन्नति समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ उक्त समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, विभागीय पदोन्नति समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों पर, यदि हों, विचार करने के पश्चात् सूची को ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हों, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में न्यायसंगत तथा उचित हों।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से यथा अनुमोदित चयन सूची अनुसूची—चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किए गए पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची, जब तक कि नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाए, साधारणतः एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त बनी रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नही बढ़ाई जाएगीः

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर आचरण या कर्तव्यों के निवर्हन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर, चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और विभागीय पदोन्नति समिति, यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—** (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा के संवर्ग (काडर) के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम से की जाएगी, जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आए हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व सरकार से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन

सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य संचालन अथवा निष्पादन में ऐसी गिरावट न आ गई हो, जिससे वह नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त हो गया हो।

18. **परिवीक्षा.**— सेवा में सीधी भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

19. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उदभूत होता है, तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की, ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस व्यक्ति के लिए कम अनुकूल हो।

21. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों में की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर बनाए गए नियमों या जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

22. **निरसन.**— इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत समस्त नियम, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्द्वारा, निरस्त किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया है या की गई है।

अनुसूची—एक
(नियम 5 देखिए)
वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान एवं ग्रेड पे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	2	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	9300—34800+3600
2.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	9300—34800+3600
3.	सहायक अंकेक्षण अधिकारी	1	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	9300—34800+3200
4.	स्टेनोग्राफर (शीघ्रलेखक)	1	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	5200—20200+2800
5.	अन्वेषक	3	तदैव	5200—20200+2400
6.	डाटा एन्ट्री आपरेटर/जूनियर डाटा एन्ट्री आपरेटर	2	तदैव	5200—20200+2400
7.	संगणक	1	तदैव	5200—20200+2100
8.	लेखापाल	1	लिपिक वर्गीय तृतीय श्रेणी	5200—20200+2400
9.	सहायक ग्रेड—दो	1	—— " ——	5200—20200+2400
10.	सहायक ग्रेड—तीन	4	तदैव	5200—20200+1900
11.	स्टेनोटायपिस्ट	1	—— " ——	5200—20200+1900
12.	वाहन चालक	4	अलिपिक वर्गीय तृतीय श्रेणी	5200—20200+1900

अनुसूचा--दा
(नियम 6 तथा 13 देखिए)
भर्ती का तरीका

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	सीधी भर्ती द्वारा/ प्रतियोगी परीक्षा द्वारा	सेवा सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवा से स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	2	—	100 प्रतिशत	—
2.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1	—	100 प्रतिशत	—
3.	सहायक अंकेक्षण अधिकारी	1	—	—	प्रतिनियुक्ति द्वारा
4.	स्टेनोग्राफर (शीघ्रलेखक)	1	—	100 प्रतिशत	—
5.	अन्वेषक	3	66 प्रतिशत	34 प्रतिशत	—
6.	डाटा एन्ट्री आपरेटर/ जूनियर डाटा एन्ट्री आपरेटर	2	100 प्रतिशत	—	—
7.	संगणक	1	100 प्रतिशत	—	—
8.	लेखापाल	1	—	100 प्रतिशत	—
9.	सहायक ग्रेड—दो	1	—	100 प्रतिशत	—
10.	सहायक ग्रेड—तीन	4	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	—
11.	स्टेनोटायपिस्ट	1	100 प्रतिशत	—	—
12.	वाहन चालक	4	100 प्रतिशत	—	—

अनुसूची—तीन
(नियम 8 देखिए)
सीधी भर्ती हेतु विहित आयु सीमा तथा अर्हताएं

अनुक्रमांक	सेवा या पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	डाटा एन्ट्री आपरेटर/जूनियर डाटा एन्ट्री आपरेटर	18	35	(एक) माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य मण्डल से पुरानी हायर सेकण्डरी 11 वीं उत्तीर्ण अथवा 10+2 पद्धति से 12 वीं उत्तीर्ण। (दो) पी.जी.डी.सी.ए. या उसके समतुल्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2.	अन्वेषक	18	35	वाणिज्य, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान अथवा सांख्यिकी/गणित विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि होना अनिवार्य है। कम्प्यूटर प्रचालन में अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमानता दी जाएगी।
3.	संगणक	18	35	(1) माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य मण्डल से पुरानी हायर सेकण्डरी 11 वीं उत्तीर्ण अथवा 10+2 पद्धति से 12 वीं उत्तीर्ण। (2) पी.जी.डी.सी.ए. या उसके समतुल्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
4.	सहायक ग्रेड—तीन	18	35	(1) माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य मण्डल से पुरानी हायर सेकण्डरी 11 वीं उत्तीर्ण अथवा 10+2 पद्धति से 12 वीं उत्तीर्ण। (2) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा

				मुद्रलेखन बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीण होना चाहिए। (3) अभ्यर्थी को, निम्नलिखित संस्थानों में से किसी एक (संस्थान) से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए :— (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। (ग) डिप्लोमा स्तर पर डी.ओ.इ.ए. सी.सी. के समतुल्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (घ) किसी शासकीय पॉलीटेक्नीक महाविद्यालय से मॉर्डन आफिस मेनेजमेंट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए।
5.	स्टेनोटायपिस्ट	18	35	(1) माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य मण्डल से पुरानी हायर सेकण्डरी 11 वीं उत्तीर्ण अथवा 10+2 पद्धति से 12 वीं उत्तीर्ण। (2) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा 25 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण होना चाहिए। (3) राज्य सरकार द्वारा मान्यता—प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (4) मध्यप्रदेश मुद्रलेखन तथा शीघ्रलेखन बोर्ड अथवा राज्य

				सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान से शीघ्रलेखन परीक्षा हिन्दी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी पॉलीटेक्नीक महाविद्यालय से मार्डन आफिस मेनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए।
6.	वाहन चालक	18	35	उसे 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा जारी किया गया वाणिज्यिक वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति (हल्के मोटर वाहन) होनी चाहिए।

अनुसूची–चार
(नियम 14 देखिए)
पदोन्नति की प्रणाली

अनुक्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अपेक्षित सेवा के वर्षों की संख्या	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अन्वेषक	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5 वर्ष	1. प्रमुख सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त – अध्यक्ष 2. उप आयुक्त राहत – सदस्य 3. आयुक्त द्वारा नाम–निर्दिष्ट कोई तकनीकी अधिकारी – सदस्य 4. यदि उपरोक्त समिति में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई भी सदस्य उपस्थित न हो तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का कोई एक सदस्य जो द्वितीय श्रेणी अधिकारी की रेंक से कम न हो जो आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा – सदस्य	
2.	डाटा एन्ट्री आपरेटर / जूनियर डाटा एन्ट्री आपरेटर	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	5 वर्ष	– तदैव –	
3.	संगणक	अन्वेषक	5 वर्ष	– तदैव –	
4.	सहायक ग्रेड–तीन	सहायक ग्रेड–दो / लेखापाल	5 वर्ष	– तदैव –	
5.	स्टेनोटायपिस्ट	स्टेनोग्राफर (शीघ्रलेखक)	5 वर्ष	– तदैव –	
6.	चतुर्थ श्रेणी	सहायक ग्रेड–तीन	5 वर्ष	– तदैव –	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजीत केसरी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त, 2012

एकल नस्ती क्रमांक 212 रा.आ./स्था. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3) के अनुसारण में इस विभाग के अधिसूचना के एकल नस्ती क्रमांक 212 रा.आ./स्था./2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजीत केसरी, सचिव.

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following rules for regulating the recruitment and conditions of service of the members of Madhya Pradesh Natural Calamities Relief Commissoner's office Class-III Non-Gazetted/ Ministerial/ Non-Ministerial Services, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Natural Calamities Relief Commissoner's office Class-III (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2012.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Appointing authority" in relation to the service means Relief Commissioner of Madhya Pradesh;

(b) "Departmental Promotion Committee" means Committee constituted as per column (5) of the Schedule IV;

(c) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(d) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(e) "Other Backward Classes" means the other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide notification No. F-8-5-XXV-4-84 dated 26th Decemeber, 1984 as amended from time to time;

(f) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;

(g) "Scheduled Castes" means any caste, race of tribe or part of, or group within caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(h) "Scheduled Tribes" means any tribes or tribal community or part of or group within such tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of Constitution of India;

(i) "Selection Committee" means the Committee constituted by the appointing authority under sub-rule (2) of rule 11 of these rules;

(j) "Service" means the Madhya Pradesh Natural Calamities Relief Commissioner's office Class-III Non-Gazetted/ Ministerial/ Non-Ministerial Service;

(k) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. **Scope and application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service, as mentioned in Schedule - I.

4. **Constitutions of the Service.-** The service shall consist of the following,-

(a) the persons, who at the time of commencement of these rules are holding substantively or in officiating capacity the posts specified in the Schedule-I;

(b) the persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and

(c) the persons recruited to the Service in accordance with the provision of these rules.

5. **Classification, scale of pay and number of posts .-** The classification of the service, the scales of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provision contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts included in the service either on permanent or temporary basis.

6. Method of Recruitment .-(1) Recruitment to the service after the commencement of these rules shall be made by,-

(a) by direct recruitment through competitive examination or selection;

(b) by promotion of the members of the service; as specified in Schedule IV;

(c) transfer/absorption/deputation of such persons who are holding the post substantively or in officiating capacity in such services as specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Appointing Authority.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, the appointing authority may after obtaining a prior concurrence of General Administration Department, adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub rule, as it, by orders issued in this behalf.

7. Appointment to the Service.- All appointments to the service after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment. -In order to be eligible for direct recruitment the candidate must satisfy the following conditions:-

(1) Age:-

(a) He must have attained the age of 18 years, but must not have exceeded the age of 35 years;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(c) The upper age limit shall be relaxable in respect of candidate who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to conditions specified below:-

(i) a candidate who is permanent Government servant shall not be more than 35 years of age;

(ii) a candidate who is a temporary Government servant and applying for another post shall not be more than 35 years of age. This relaxation shall also be admissible to the contingency paid employees, work-charged employees and employees working in the project implementing committee;

(iii) a candidate who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation .- The term "retrenched Government servant" denote a person who was in temporary Government service of the State Government or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(iv) a candidate who is an Ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him:

Provided that resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation .- A candidate who is an "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(1) Ex-serviceman released under mustering out concessions;

(2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on,-

(a) completion of short term engagement.

(b) fulfilling the condition of enrolment.

(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit.

(4) Ex-serviceman invalided out of service.

(5) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.

(6) Ex-serviceman, who are medically boarded out on account of gun shot, wounds etc.

(7) Officer (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including Short Service Regular Commissioned Officers)

(8) Officers discharge after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(d) The general upper age limit shall be relaxable up to f ive years in respect of widow, destitute and disabled women candidates;

(e) The upper age limit shall be relaxed upto two years for the candidates who are holding green card issued under Family Welfare Programme;

(f) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of five years in respect of awarded superior caste partner or couple under the inter caste marriage incentive programme of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Welfare Department;

(g) The upper age limit shall be relaxed up to five years in respect of Vikram Award holder candidates;

(h) The upper age limit shall be relaxed up to 35 years in respect of candidates who are employees of any of the Madhya Pradesh State Corporations/Board;

(i) The general upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non commissioned officers of Home Guards for the period of service rendered so by them. This relaxation shall be upto 3 years;

(j) The upper age limit shal be relaxable to the destitute candidates as per instruictions issued by the State Government from time to time;

(k) The upper age limit shal be relaxable to the disabled candidates as per orders/ directions issued by the State Government from time to time.

Note -1. A candidate who are admitted to the selection under the age concession mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause-(c) of sub-rule (1) above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application they resigned from the service either before or after the selection. They will however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

Note -2. In no other case this age limit shall be relaxed.

Note -3. Departmental candidates shall obtain previous permission of their appointing authority to appear for selections.

(2) Educational Qualifications.- The candidates must possess the educational qualifications prescribed for the service shown in column (5) of Schedule – III.

(3) Fees.- The candidate shall have to pay the fees, prescribed by the Government.

9. Disqu alificatio n.-(1) Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by any means may be treated as disqualification by the Appointing Authority for appearing in the selection.

(2) No candidate shall be eligible for appointment to the service/promotion, who is married before the minimum age fixed for marriage.

(3) No person shall be eligible for appointment to the service or post who has more than two living children, one of whom is born on or after the 26th January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th day of January, 2001 in which two or more than two children are born as twince etc..

(4) No candidate shall be eligible for appointment to the service or post if he is convicted for offences against women:

Provided that if the case is pending against him in any Court, the case shall be kept pending till the final decision of the Court.

(5) A male candidate who is having more than one living wife and in case of a female candidate who has married to a person who has already living wife shall not be eligible for appointment to the service or post.

(6) No Government servant who has a living wife shall marry to a second wife without the prior permission of the Government even if his personal law permits him so to do.

(7) Any permanent female Government Servant shall not marry a person who is having living wife without a permission of Government.

10. Decision of the appointing authority shall be final.- The decision of the appointing authority about the eligibility of candidate shall be final and candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the appointing authority, he shall not be allowed for interview.

11. Direct recruitment by competitive examination.- (1) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the appointing authority may, determine in due consultation with the Government, from time to time.

(2) The examination shall be conducted by the appointing authority in accordance with such orders as issued by the Government from time to time in this behalf or in absence of such orders, the appointing authority shall issue the orders in this behalf.

(3) There shall be Reserved Post of various categories for direct recruitment in accordance with the directions issued by the General Administration Department from time to time.

(4) In filing the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order, in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes considered by the appointing authority to be suitable for appointment to the service and who have been recommended by the Committee under sub-rule (3), with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be:

Provided that the total number of reserved post of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, including posts carry forwarded, shall not be at any time more than 45 percent of total number of advertised vacant posts.

(6) (i) In such cases, where experiences of some period has been prescribed as an essential condition for the post to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority that there is a possibility that the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes may not be available in sufficient number the Appointing Authority may relax the condition of experience for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(ii) The selection or recruitment in the service shall be made by the appointing authority after due consultation with the Government, from time to time.

(iii) The selection of candidate for recruitment to the service shall be made after conducting interview.

12. List of the candidates recommended by the Selection Committee .-(1) The selection committee shall prepare and forward a list to the Government or appointing authority, as the case may be, arrange in order of such merit of a candidates who have qualified by such standard as determined by the selection committee and list of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who, though not qualified by that standard or declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list may also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil service (General Conditions of Service) Rules, 1961, the candidate shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of the names of candidates in the selection list confirm no right to appoint unless Appointing Authority is satisfied after such enquiry, as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

(4) The selection list shall be valid for one year from the date of its issue.

13. Appointment by promotion.-(1) There shall be a committee constituted as mentioned in column (5) of the Schedule–IV, for making a preliminary selection of eligible candidates for promotion.

(2) The Departmental Promotion Committee shall meet at such intervals as appointing authority may direct, but ordinarily shall not exceed one year.

(3) In such vacancies, where percentage of promotion is 33½ percent or more, as specified in Schedule-II, 16 percent and 20 percent of the total number of available vacancies shall be reserved for members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who are eligible for promotion under rule 14.

(4) The procedure of promotion in the vacancies of the Scheduled Castes and Scheduled T ribes shall be in accordance with the directions issued by the General Administration Department time to time.

(5) For the promotion of the members of service specified in column (2) of schedule IV to the post or posts as specified in column (3) thereof, the eligibiltiy of candidates, selection process and appointment by promotion shall be in accordance with the provisions as specified in Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.

14. Condition of eligibility for promotion.-(1) Subject to the provision of sub rule (2) the Departmental Promotion Committee shall consider the cases of all the persons, who has completed such number of years of service (Whether officiating or substantive) on the 1st day of January of that year on the post from which promotion is to be made or on any other posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (4) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2) :

Provided that any junior person shall not be given preference over the senior only on the ground that he has completed prescribed service mentioned in this sub-rule.

(2) In case of vaccines to be filled on the basis of seniority-cum-merit, the zone of consideration for persons to be included in the list shall ordinarily be limited upto five times :

Provided that if the suitable persons are not available in the zone of consideration in requisite number, then the Departmental Promotion Committee may, by recording its reasons in writing, extend its limit.

15. Preparation of list of suitable candidates.- (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons of Scheduled Castes and Scheduled Tribes who fulfills the conditions prescribed in rule 14 above and as are held by the said Committee to be suitable for promotion to the service, shall prepare a separate list. This list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies occurring on account of retirement or promotion during the course of One year starting from the date of preparation of select list. A reserve list of 25 percent of the members of the service included in the said list shall be proposed in order to fulfill the unforeseen vacancies occurring during the aforesaid period.

(2) The name of officers/ employees included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of the Schedule IV at the time of preparation of each select list.

Explanation .- The persons whose names are included in the select list but those who are not promoted during the validity of list, shall have no claim to seniority over those persons considered in the subsequent selection list merely by the fact of his earlier selection.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If in process of selection review or revision it is proposed to supersede any member of the service, the Departmental Promotion Committee shall record its reasons for the proposed supersession

16. Select list.-(1) The appointing authority shall consider the list prepared by the Departmental Promotion Committee along with other documents received from the said Committee and unless it considers any change necessary, approve the list.

(2) If the appointing authority considers it necessary to make any change in the list received from the Departmental Promotion Committee, he shall inform the Committee of the changes proposed and after taking into account the comments, if any, of the Committee, approve the list finally with such

modifications, if any, as may, in the opinion of appointing authority be just and proper.

(3) The list as finally approved by the Appointing Authority shall form the select list for promotion of the members of the service from the posts specified in column (2) of Schedule-IV to the posts specified in column (3) of the said Schedule.

(4) The select list shall ordinarily remain in force for a period of one year until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15, but its validity shall not be extended beyond a period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, special review of the select list may be made at the instance of the appointing authority and the Departmental Promotion Committee may, if it deems fit, may remove the name of such person from the select list.

17. Appointment to the service from the select list.-

(1) Appointment of the employees included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order, in which the name of such employees appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Government before the appointment of a person whose name is included in the select list of the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment, there occurs any deterioration in this work, which in the opinion of the appointing authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. Probation.- Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

20. Relaxation: Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any

person, to whom these rules apply, in such a manner, as may appear to it to be just and equitable:

Provided that no case shall be dealt with in any manner less favourable to a person than that is provided in these rules.

21. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the rules made or instructions/ order issued by the State Government from time to time, in this regard.

22. **Repeal.** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHE DULE-I

(See rule 5)

Class ification, Scale of Pay a nd Nu mber of Posts include d in the Service

S. No.	Name of the post included in the service	No. of posts	Classification	Pay Sca le+Grade Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Assistant Statistical Officer	2	Non Gazetted Class-III	9300-34800+3600
2.	Assistant Computer Programmer	1	Non Gazetted Class-III	9300-34800+3600
3.	Assistant Audit Officer	1	Non Gazetted Class-III	9300-34800+3200
4.	Stenographer	1	Non Gazetted Class-III	5200-20200+2800
5.	Investigator	3	-do-	5200-20200+2400
6.	Data Entry Operator/Junior Data Entry Operator	2	-do-	5200-20200+2400
7.	Computer	1	-do-	5200-20200+2100
8.	Accountant	1	Ministerial Class-III	5200-20200+2400
9.	Assistant Grade-II	1	-	5200-20200+2400
10.	Assistant Grade- III	4	-do-	5200-20200+1900
11.	Steno-typist	1	-	5200-20200+1900
12.	Driver	4	Non-Ministerial Class-III	5200-20200+1900

SCHEDULE-II

(See rule 6 and 13)

Method of Recruitment

S. No.	Name of post included in the service	Number of Posts	By Direct Recruitment by competitive examination	By promotion of the members of the service	By Transfer or deputation from other service
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Statistical Officer	2	-	100%	-
2.	Assistant Computer Programmer	1	-	100%	-
3.	Assistant Audit Officer	1	-	-	By deputation
4.	Stenographer	1	-	100%	-
5.	Investigator	3	66%	34%	
6.	Data Entry Operator/ Junior Data Entry Operator	2	100%	-	-
7.	Computer	1	100%	-	-
8.	Accountant	1	-	100%	-
9.	Assistant Grade-II	1	-	100%	-
10.	Assistant Grade-III	4	75%	25%	-
11.	Steno-typist	1	100%	-	-
12.	Driver	4	100%	-	-

SCHEDULE-III

(See rule 8)

Prescribed Age Limit and Qualifications for Direct Recruitment

S. No.	Name of Service or Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Data Entry Operator/Junior Data Entry Operator	18	35	(i) Must have passed Old Higher Secondary 11th or 12th Passed in 10+2 pattern from Board of Secondary Education, Madhya Pradesh or from any other Board recognized by the State Government. (ii) Must have passed P.G.D.C.A. or any examination equivalent to it.
2.	Investigator	18	35	Must have a graduation degree having one of the subjects among Commerce, Sociology, Economics, Psychology or Statistics/ Maths preference will be given to the candidates having qualification in computer operation.
3.	Computer	18	35	(1) Must have passed old Higher Secondary 11th or 12th passed in 10+2 pattern from Board of Secondary Education, Madhya Pradesh or any other Board recognized by State Government. (2)Must have passed P.G.D.C.A. or any examination equivalent to it.
4.	Assistant Grade-III	18	35	(1) Must have passed Old Higher Secondary 11th or 12th passed in 10+2 pattern from Board of Secondary Education Madhya Pradesh or any other Board recognized by State Government. (2)Must have passed Hindi Typing with a speed of 30 words per minute from the Madhya Pradesh Shorthand and Typing Board. (3) The candidate must have passed Computer examination from any one of the following Institutes:- (a) Must have passed Diploma Computer Examination from the University recognized by the University Grants Commission.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(b) Must have passed Diploma in Computer Examination from the Open University recognized by the University Grants Commission. (c) Must have passed any examination equivalent to DOEACC at Diploma level. (d) Must have passed Modern Office Management curriculum from any Government Polytechnic College.
5.	Steno Typist	18	35	(1) Must have passed Old Higher Secondary 11th or 12th passed in (10+2) pattern from Board of Secondary Education, Madhya Pradesh or from any other Board recognized by the State Government. (2) Must have passed Hindi typing with a speed of 25 words per minute from Madhya Pradesh Shorthand and Typing Board. (3) Must have passed Computer Examination from any Institute recognized by the State Government. (4) Must have passed Shorthand Examination with a speed of 80 words per minute in Hindi from Madhya Pradesh Typing and Shorthand Board or any other Institute recognized by the State Government or must have diploma in Modern Office Management from any Polytechnic College recognized by the State Government.
6	Driver	18	35	He must have passed 8th Standard and must have Commercial Driving license of (Light Motor Vehicle) issued by the Regional Transport Office.

SCHEDULE–IV
(See Rule 14)
Channel of Promotion

S. No.	Name of post from which promotion is to be made.	The name of post on which promotion is to be made.	Number of years of service required for promotion	Members of Departmental Promotion Committee	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Investigator	Assistant Statistical Officer	5 Years	1. Principal Secretary, Revenue and Relief Commissioner – **Chairman** 2. Deputy Commissioner Relief – **Member** 3. Any Technical Officer nominated by the Commissioner – **Member** 4. If there is no Member of Scheduled Castes and Schedule Tribes category is present in the above Committee then any one Member of the Scheduled Castes and Schedule Tribes, who shall not be below the rank of a Class-II officer, shall be nominated by the Commissioner. – **Member**	
2.	Data Entry Operator/ Junior Data Entry Operator	Assistant Computer Programmer	5 Years	------do------	
3.	Computer	Investigator	5 years	------do------	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II/ Accountant	5 years	------do------	
5.	Steno Typist	Stenographer	5 years	------do------	
6.	Class – IV	Assistant Grade–III	5 Years	------do------	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJEET KESARI, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.